बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संख्या :–17 स्था0 (बन्दो0नियमावली)–234 / 2013(खंड–1)–1905 पटना, दिनांक :–17/12/14

अधिसूचना

सं0 ......–1905/ भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय एवं चकबंदी निदेशालय (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग), बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन बन्दोबस्त एवं चकबंदी कार्यालयों के प्रारूपक संवर्ग के पदों पर भर्त्ती/प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्तो को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

बिहार राजस्व प्रारूपक संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली–2014

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।–**

(i) यह नियमावली बिहार राजस्व प्रारूपक संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2014 कही जा सकेगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य के बन्दोबस्त/चकबंदी कार्यालयों एवं राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण कार्यालय तक सीमित रहेगा।

(iii) यह तुरन्त के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषायें।– इस नियमावली में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो**

(क) "संवर्ग" से अभिप्रेत है बन्दोबस्त एवं चकबंदी कार्यालयों एवं राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण कार्यालय के प्रारूपक संवर्ग;

(ख) 'राज्य सरकार' से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;

(ग) 'नियुक्ति प्राधिकार' से अभिप्रेत है बंदोबस्त एवं राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण कार्यालय के प्रारूपक संवर्ग के लिए निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप तथा चकबंदी कार्यालयों के प्रारूपक संवर्ग के लिए निदेशक चकबंदी बिहार, पटना;

(घ) "संवर्ग नियंत्री प्राधिकार" से अभिप्रेत है बन्दोबस्त एवं राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण कार्यालय के प्रारूपक संवर्ग के लिए निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप एवं चकबन्दी कार्यालय के प्रारूपक संवर्ग के लिए निदेशक चकबंदी;

(ङ) 'विभाग' से अभिप्रेत है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग;

(च) 'आयोग' से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग;

(छ) "अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति" से अभिप्रेत है प्रासंगिक परिपत्रों/अनुदेशों के अनुसार कर्त्तव्यावधि में मृत सरकारी सेवक के आश्रितों में से किसी एक की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति।

(ज) "विभागीय प्रोन्नति समिति" से अभिप्रेत है विभाग द्वारा अधिसूचित विभागीय प्रोन्नति समिति।

3. **संवर्ग की संरचना** :— (1) प्रारूपक संवर्ग में दो उप संवर्ग होंगे जिनकी संरचना निम्न प्रकार होगी :—

(i) बंदोबस्त एवं राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण कार्यालय प्रारूपक संवर्ग —

क्रम संख्या	कोटि का नाम	स्तर
1	प्रारूपक	मूल कोटि
2	वरीय प्रारूपक	प्रथम प्रोन्नति स्तर
3	प्रधान प्रारूपक	द्वितीय प्रोन्नति स्तर

(ii) चकबंदी कार्यालय प्रारूपक संवर्ग —

क्रम संख्या	कोटि का नाम	स्तर
1	प्रारूपक	मूल कोटि
2	वरीय प्रारूपक	प्रथम प्रोन्नति स्तर
3	प्रधान प्रारूपक	द्वितीय प्रोन्नति स्तर

प्रारूपक, वरीय प्रारूपक, प्रधान प्रारूपक के पदों की संख्या एवं वेतनमान वही होगा जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाएगा।

2. **सेवा संवर्ग का गठन** —

(i) बिहार राजस्व प्रारूपक संवर्ग राज्य स्तरीय होगा।

(ii) इस नियमावली के लागू होने के पूर्व से उक्त कोटियों में नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्ति स्वतः इस संवर्ग में शामिल समझे जायेंगे।

4. **अहर्त्ता** — प्रारूपक के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमिडियट (10+2) विज्ञान के साथ या समकक्ष उत्तीर्ण एवं आई0टी0आई0 के ड्राफ्टस मैन ट्रेड में डिप्लोमा के साथ कम्प्यूटर का ज्ञान होना अनिवार्य होगा।

5. **भर्ती** — प्रारूपक संवर्ग के कर्मियों की सीधी नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर बंदोबस्त एवं राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण कार्यालय के लिए निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप तथा चकबंदी कार्यालयों के लिए निदेशक चकबंदी बिहार, पटना द्वारा की जाएगी।

6. **आरक्षण** — नियुक्ति/प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित आरक्षण एवं रोस्टर के प्रावधान लागू होंगे।

7. **परीवीक्षा अवधि** — प्रारूपक की परीवीक्षा अवधि 2 वर्षो की होगी।

8. प्रशिक्षण –

(1) विभाग एवं अधिकृत प्रशिक्षण संस्थान द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम के अधीन सभी कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा एवं अधिकृत प्रशिक्षण संस्थान द्वारा ससमय अथवा विनिश्चित कार्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण का आयोजन नहीं किए जाने पर प्रोन्नति बाधित नहीं होगी।

(2) राजभाषा विभाग द्वारा संचालित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य होगी।

9. **विभागीय परीक्षा एवं पाठ्यक्रम** – प्रारूपकों को कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

10. **सम्पुष्टि** – कोई परिवीक्षाधीन व्यक्ति परिवीक्षा अवधि की संतोषजनक समाप्ति तथा हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण तथा कम्प्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा की उत्तीर्णता के बाद सम्पुष्ट किया जाएगा।

11. **वरीयता का निर्धारण** – प्रारूपक की आपसी वरीयता आयोग द्वारा निश्चित उनकी मेधास्थिति के अनुसार विनिश्चित की जाएगी किन्तु इस नियमावली के आरंभ होने के पूर्व विनिश्चित आपसी वरीयता अपरिवर्तनीय रहेगी।

परन्तु अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति उन व्यक्तियों से कनीय होंगे, जो संबंधित भर्त्ती वर्षो में प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त किए गए हैं, लेकिन किसी भर्त्ती वर्ष में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति संबंधित भर्त्ती वर्ष में प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्त व्यक्ति से वरीय होंगे।

12. **प्रोन्नति** – मूल कोटि से उच्चतर कोटि में सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय समय पर निश्चित कालावधि पूरा होने पर और विभाग द्वारा गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर दी जा सकेगी।

13. **अवशिष्ट मामले** – ऐसे मामलों के संबंध में जो इस नियमावली द्वारा विशिष्ट रूप से आच्छादित नहीं है, संवर्गो के सदस्य राज्य सरकार के समुचित स्तर के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के लिए लागू नियमावली या आदेशों से शासित होंगे।

14. **कठिनाईयों का निराकरण** – विभाग, समय समय पर, इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी के कार्यान्वयन में आ रही कठिनाई के निराकरण के लिए विधि विभाग के परामर्श से जारी कर सकेगा, जो ऐसा सामान्य या विशेष निदेश आवश्यक हो और इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो।

15. **निर्वचन** — जहाँ नियमावली के प्रावधानों में से किसी के निर्वचन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो वहाँ मामला विभाग द्वारा विधि विभाग के परामर्श से विनिश्चित किया जायेगा और ऐसा विनिश्चय अंतिम होगा।

16. **निरसन एवं व्यावृत्ति** — (1) इस संवर्ग के संबंध में पूर्व मे निर्गत सभी संकल्प एवं अनुदेश एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसा निरसन के होते हुए भी ऐसे संकल्प, अनुदेश के अधीन किया गया कुछ भी या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया या की गयी समझी जाएगी मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी जिस दिन ऐसा कार्य या कार्रवाई की गयी थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

16/12/14

(विनोद कुमार झा)
सरकार के अपर सचिव

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना सं0 ...1905... बिहार राजस्व प्रारूपक संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्य के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में अधिसूचित नियमावली, 2014 का प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

16/12/14

(विनोद कुमार झा)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :— 17 स्था0 (बन्दो0नियमावली)—234/2013 (खंड-1)...1905 **पटना, दिनांक** :— 17/12/14

प्रतिलिपि :— अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी 1000 (एक हजार) मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को भेजने के अनुरोध के साथ प्रेषित।

16/12/14

(विनोद कुमार झा)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :–17 स्था0 (बन्दो0नियमावली)–234/2013 (खंड–1) 1905 पटना, दिनांक :– 17/12/14

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी समाहर्त्ता/महानिबंधक, पटना, उच्च न्यायालय/सचिव बिहार विधान सभा/विधान परिषद/राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप/चकबंदी, बिहार, पटना/सभी समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/14
(विनोद कुमार झा)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :–17 स्था0 (बन्दो0नियमावली)–234/2013 (खंड–1)–1905 पटना, दिनांक :– 17/12/14

प्रतिलिपि :– उप सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

16/12/14
(विनोद कुमार झा)
सरकार के अपर सचिव

D:\Backup\Year 2014\Ravindra Pr\Notification\Notification 234-2013 final prarupak 2.doc

Government of Bihar

Revenue & Land Reforms Department

Notification

No. 17 स्था० (बन्दो०नियमावली)–234 / 2013(खंड–1)....1905 Patna, Dated;-...17/12/14

In exercise of the powers conferred under proviso to Article 309 of the Constitution of India, The Governor of Bihar is pleased to make the following Rules for regulating the recruitment and other conditions of service of the Draftsmen of the field offices of the Settlement and Chakbandi under Land Records and Survey and Chakbandi directorate :-

Bihar Revenue Draftsmen Cadre (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2014

1. Short title, extent and commencement:- (1) These Rules may be called as "Bihar revenue Draftsmen Cadre (Recruitment and Conditions of Services) Rules, 2014.

(2) It shall extend to all Settlement and Chakbandi field offices/Revenue (Survey) training offices in the entire state of Bihar.

(3) It shall come into force with immediate effect.

2. Definitions: - In these Rules unless otherwise requires in the context

(i) "Cadre" means the Draftsmen Cadre of field offices of settlement and Chakbandi and Revenue (Survey) training offices;

(ii) "State Government" means The State Government of Bihar;

(iii) "Appointing Authority" means Director, Land records and Survey for Settlement and revenue (Survey) training offices draftsmen cadre, and Director, Chakbandi for Chakbandi office's draftsmen, cadre;

(iv) "Cadre Controlling Authority" means Director, Land Records and Survey for the settlement and revenue (Survey) training offices, and Director, Chakbandi for Chakbandi office's;

(v) "Department" means Revenue and Land Reforms Department;

(vi) "Commission" means Bihar Staff Selection Commission;

(vii) "Appointment on compassionate ground" means appointment of any one of the dependents of the government servant in case of death during duty, as per relevant circular/instructions;

(viii) "Department Promotion Committee" means The Departmental of Promotion Committee notified by the department;

3. **Cadre Structure:-** (1) There will be two sub-cadres in the cadre of draftsmen, the structure of which will be as follows:-

(i) **Draftsmen Cadre for settlement and revenue (Survey) training offices.**

Sl.No.	Name of Posts	Level
1.	Draftsmen	Basic Category
2.	Senior Draftsmen	First Promotion Level
3.	Head Draftsman	Second Promotion Level

(ii) **Draftsmen Cadre of Chakbandi offices:-**

Sl.No.	Name of Posts	Level
1.	Draftsmen	Basic Category
2.	Senior Draftsmen	First Promotion Level
3.	Head Draftsman	Second Promotion Level

The Cadre strength of draftsmen, senior Draftsmen and Head Draftsmen and their pay scale will be the same as it may be notified by the state government from time to time.

2. **Constitution of Service Cadre:-** (i) The Bihar Settlement & Revenue/ Chakbandi Draftsmen Cadre will be of state level.

(ii) The persons recruited and working in the said category prior to the notification of these rules will be treated included in this Cadre.

4. **Qualifications:-** The minimum educational qualification for Draftsmen will be intermediate science (10+2) pass or equivalent and Diploma in Draftsmanship from a govt. recognized I.T.I with Knowledge of computer application.

5. **Recruitment:-** Direct recruitment in the Draftsmen Cadre will be made on the recommendation of The Bihar Staff Selection Commission by Director, Land Records & Survey for Settlement and Revenue (Survey) for training offices by The Director Chakbandi, Bihar Patna for Chakbandi Offices.

6. **Reservation:-** Provisions of reservation & roaster as notified from time to time by the State Government shall apply in the recruitment and promotion.

7. **Probation Period:-** Probation period for draftsmen will be of two years.

8. **Training;-** (i) All employees will be provided training by the department and authorised training institute under the determined training programme, and on not holding training by authorized training institutes on time or according to determind programme, the promotion will not be obstructed.

(ii) Passing in the Hindi Noting and Drafting Exam conducted by the Rajbhasha Department is essential.

9. For draftsmen it will be compulsory to pass the computer efficiency test.

10. **Confirmation:-** A probationer will be confirmed after satisfactory completion of his probation period and passing the examination of Hindi Noting Drafting and as also the computer efficiency test.

11. **Determination of Seniority:-** Inter-se Seniority of draftsmen will be determined accordance to the merit-list as determined by the Commission (Ayog), but the inter-se seniority determined prior to the commencement of these Rules will remain unchangable.

Provided that the person appointed on the compassionate ground shall be junior to such persons who have been appointed in the concerned year on the basis of Competition Examination, but the person appointed by promotion in any year will be senior to the persons appointed by the competitive examination in the concerned year.

12. **Promotion:-** Promotion from basic category to a higher category in the cadre may be given on completion of Kalawadhi determined from time to time by the General Administrative Department of Bihar and on the recommendation of Departmental Promotion Committee constituted by the department.

13. **Residuary Matters:-** In respect of such matters which are not specifically covered by these rules, the members of this Cadre shall be governed by the Rules and regulations or orders applicable to the officers and employees at appropriate level.

14. **Removal of Difficulties:-** The department may issue such general or special directions in consultation with the Law Department from time to time, to remove the difficulty coming in the implementation of any of the provisions of this Rule. which is necessary and not inconsistent with the provision of these Rules.

15. **Interpretation:-** Where any doubt arises as to the interpretation of any of the provision of these Rules, the matter shall be decided by the Department in consultation with Law Department and such decision will be final.

16. **Repeal and Saving:-** (1) All resolution and instructions issued earlier with respect to this cadre are hereby repealed.

(2) Not with standing such repeal, anything done or any action taken under such resolution, instruction shall be deemed to done or taken under these Rules as it these Rules were in force on the day on which such thing or action was done or taken.

By Order of the Governor of Bihar

16/8/14

(Binod Kumar Jha)
Additional Secretary of Govt.

Memo No. 17 स्था0 (बन्दो0नियमावली)–234 / 2013(खंड–1)-1905 **Patna, Dated :-** 17/12/14

Copy forwarded to :- Superintendent, Government Press, Gulzarbagh, Patna/E-Gazette Cell, Finance Department, Bihar, Patna with request to publish this notification in extraordinary issue of the Bihar Gazette and to send its one thousand copies to this department.

16/8/14

(Binod Kumar Jha)
Additional Secretary of Govt.

Memo No. 17 स्था0 (बन्दो0नियमावली)–234 / 2013(खंड–1)-1905 **Patna, Dated :-** 17/12/14

Copy forwarded to :- Accountant General, Bihar, Patna/All Department/All Head of Department/All Divisional Commissioner/All Collectors/Registrar General, High Court, Patna/Secretary, Bihar Legislative Assembly/Legislative Council/Governor Secretariat/ Chief Minister, Secretariat/Bihar Staff Selection Commission, Patna/Director, Land Records & Survey/Chakbandi, Bihar, Patna/All Collector-cum-Settlement Officer, Bihar for information & necessary action.

16/8/14

(Binod Kumar Jha)
Additional Secretary of Govt.

Memo No. 17 स्था0 (बन्दो0नियमावली)–234 / 2013(खंड–1)-1905 **Patna, Dated :-** 17/12/14

Copy forwarded to :- Deputy Secretary, Revenue & Land Reforms Department/I.T Manager, Revenue & Land Reforms Department, Bihar, Patna for information & necessary action.

16/8/14

(Binod Kumar Jha)
Additional Secretary of Govt.

D:\Backup\Year 2014\Ravindra Pr\Notification\Government of Bihar drafts man.doc